

४४६

समिति का नाम राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार होगा ।

#### कार्यालय

समिति का कार्यालय अपना घर, नियर ललित भवन, बेली रोड, पटना, बिहार में स्थित होगा तथा यह आवश्यकतानुसार जिला अथवा प्रखंड स्तर पर एक या एक से अधिक कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

क्षेत्राधिकार )

इस समिति का क्षेत्राधिकार पूरे बिहार राज्य में होगा तथा यह जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति के माध्यम से कार्य करेगा ।

#### दर्शन

राज्य में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों तथा देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की समुचित देख-भाल, संरक्षण तथा बाल मैत्रीपूर्ण व्यवहार द्वारा सभी विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा उनका स्थायी पुनर्वास करना ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से एक सफल जीवन व्यतीत कर सकें तथा मनुष्य के रूप में अपनी क्षमताओं को पूर्णरूपेण विकसित कर सकें ।

#### ५. उद्देश्य

समिति राज्य में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग को समेकित बाल संरक्षण योजना को क्रियान्वित करने हेतु सहयोग प्रदान करेगी एवं इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय एवं तकनीकी सामर्थ्य उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी ।


- १) राज्य स्तर पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (SARA) की स्थापना ।
- २) जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति की स्थापना ।
- ३) आपातकालीन सेवाओं का विस्तार, संस्थागत देखभाल, परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श एवं सहायता सेवाओं हेतु निरंतरता स्थापित करना एवं उन्हें सशक्त करना ।
- ४) समेकित बाल संरक्षण योजना को जिला एवं राज्य में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक ढाँचों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण कर सुचारू एवं सशक्त करना ।

१  
प्रदेशीकरण  
संस्थागत देखभाल  
राज्य संस्कृत विद्यालय  
बिहार, पटना

२

सभी निकायों के कृत्य एवं सभी सेवाओं को परिणामित कर उनके मानदण्ड को निर्धारित करना। 1677

- (6) राज्य एवं राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ साझेदारी कर समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत कार्य कर रहे सभी कर्मियों जिनमें प्रबंधकगण एवं सेवा प्रदाता शामिल हैं, की क्षमता का उन्नयन एवं सबंधन।
- 7) सभी संबंधित संस्थाएं जैसे स्थानीय निकाय, पुलिस, न्यायपालिका एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों को समेकित बाल संरक्षण योजना के संबंध में संवेदनशील बनाना एवं उन्हें दी गई जिम्मेदारियों को निभाने हेतु प्रशिक्षण देना।
- 8) जिला एवं राज्य स्तर पर बाल संरक्षण कार्य योजना तैयार करना एवं क्रमिक रूप से प्रखण्ड एवं समुदाय स्तर पर विस्तारित करना।
- 9) सेवा वितरण तंत्र एवं कार्यक्रमों को सशक्त करना जिनमें निवारक, कानूनी, देखरेख एवं पुनर्वास सेवाएं सम्मिलित हैं।
- 10) माता-पिता की देखरेख से वंचित बच्चों के लिए गैर-संस्थागत परिवार आधारित देखरेख जिसमें अतिसंवेदनशील परिवारों को प्रायोजित करना, नातेदारों द्वारा देख-रेख, देश के भीतर दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण, देख-रेख एवं अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण शामिल हैं, को प्राथमिकता अनुसार प्रोत्साहित करना एवं सशक्त करना।
- 11) बाल संरक्षण डाटा संधारण जिसमें एम.आई.एस. संसाधन डायरेक्टरी एवं बाल ट्रेकिंग प्रणाली शामिल है, की मदद से जिला एवं राज्य स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु तंत्र विकसित करना।
- 12) बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध एवं प्रतिवेदन तैयार करना।
- 13) राज्य में जिला स्तर पर बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु परिवारों एवं समुदायों की क्षमता को विकसित एवं प्रोत्साहित करना।
- 14) जिला बाल संरक्षण समिति के माध्यम से बच्चों को जोखिम, संकट से एवं शोषण से, संरक्षण प्रदान करने हेतु रोकथाम के उपायों को विकसित एवं प्रोत्साहित करना।
- 15) जोखिम में रह रहे बालकों की पहचान करना एवं जिला बाल संरक्षण समिति के माध्यम से समेकित बाल संरक्षण योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु संसाधनों से संबंधित जानकारियों का नक्शा तैयार करना।



प्रायोगिक विभाग (सरकारी विभाग एवं गैर सरकारी अभिकरणों) के विभिन्न योजना के उद्दित  
उद्देश्य हेतु बच्चों को सहयोग एवं सेवाएँ प्रदान करने वालों और प्रभावी समागम प्रदान  
वालों के साथ समन्वय एवं नेटवर्किंग करना।

1676

- 1) जन साधारण को बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण विषय के संबंध में शिक्षित करना।
- 2) बच्चों एवं परिवारों की स्थिति एवं पीड़ित होने की अवस्था के सन्दर्भ में सभी स्तर पर जन साधारण में जागरूकता लाना।
- 3) सभी सहभागियों एवं जन सामान्य तक सभी स्तर पर उपलब्ध बाल संरक्षण सेवाएं/योजनाओं की पहुँच एवं उपयोग सुनिश्चित करना।
- 4) किसी भी प्रकार की राशि—अनुदान, सुरक्षा निधि या सम्पत्ति नकद या किसी अन्य स्वरूप में, स्वीकार करना और उसे समिति के सभी अथवा किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए व्यय करना।
- 5) राज्य समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार क्रय, किराये, पट्टे या उपहार अथवा अन्य रूप में किसी चल अथवा अचल संपत्ति/संपत्तियों, अधिकार या सुविधाओं का अधिग्रहण करना।
- 6) समिति के आय और संपत्ति का इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करना।
- 7) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण करना।
- 8) समिति के उपरोक्त उद्देश्यों अथवा समय—समय पर सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार अन्य कार्य करना।

इन कार्यों की पूर्ति के लिए समिति

- a. समिति के सचिवालय को स्थापित करेगी एवं उसके प्रशासन एवं प्रबंधन के कार्य को पूरा करेगी। साथ ही राज्य स्तर पर राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) एवं जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति (DCPS) की स्थापना करेगी, जो कि समिति के कार्यों के क्रियान्वयक के रूप में कार्य करेगी।
- b. आवश्यकतानुसार समिति के सचिवालय हेतु प्रशासनिक, तकनीकी एवं अन्य पदों का सृजन करना।
- c. योजना के अनुसार कर्मचारियों को भर्ती करना, बनाये रखना या सेवा मुक्त करना।
- d. सामग्री एवं सेवाओं के उर्पजन हेतु प्रक्रियाओं को स्थापित करना एवं उन्हीं के आधार पर सामग्री एवं सेवाओं को प्राप्त करना।

8

93

मिलान फिल्म  
5000/-

93

विधान सभा की गतिविधियों के बारें हेतु नियमों एवं उप-विधान को  
समय पर आवश्यकतानुसार उसमें नई नियम जोड़ना, रद्द करना या बदलाव

अपेक्षाकृति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त स्मृति-पत्र में  
उन्नेश्यों की पूर्ति के लिए करने के इच्छुक हैं तथा हम सब मिलकर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन  
ग्रंथ, 1860 के अधीन इस समिति का निर्माण करते हैं।

| नाम             | व्यवसाय एवं पूर्ण पता   | समिति में स्थान | हस्ताक्षर |
|-----------------|---|-----------------|-----------|
| 2               | 3   | 4               | 5         |
|                 | प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना  | अध्यक्ष         |           |
| फरहित अटोदे     | निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना   | उपाध्यक्ष       |           |
| आमना रामनाथ     | परियोजना निदेशक, राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना (नई नियुक्ति / पदस्थापन तक प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी प्रभार में रहेंगे।) | सदस्य सचिव      |           |
| Yogendra Bhakta | निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना   | सदस्य           |           |
| B.K. Singh      | निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना  | सदस्य           |           |
| रघुवीर किंवा    | प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना  | सदस्य           |           |
| संजय कुमार      | कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना  | सदस्य           |           |
| प्राज्ञ भूषण    | परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार, पटना   | सदस्य           |           |
| मो०स्ट्र०       | संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के वित्त विभाग के प्रतिनिधि   | सदस्य           |           |
| ०१२२१८८५८१८     | अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के प्रतिनिधि   | सदस्य           |           |

a  
परियोजना निदेशक  
राज्य स्वास्थ्य समिति  
सह संकरा निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना  
विभाग, बिहार

१. नामेत, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, सामग्रि का निर्माण उपरोक्त समूह-इन्ड्र के

1674

२. नामा इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन निबंधित करने के इच्छुक हैं

३. पर नियन्त्रित साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

| नाम                    | पिता/पति का नाम       | व्यवसाय एवं पूर्ण पता  | हस्ताक्षर |
|------------------------|-----------------------|--|-----------|
| 2                      | 3                     | 4  | 5         |
| संदीप भौत्कर्ण         | श्री भौत्कर भौत्कर्ण  | प्रधान सचिव/सचिव,<br>समाज कल्याण विभाग,<br>बिहार, पटना   |           |
| पृष्ठ अटाद             | शेरक अडुर्देहा        | निदेशक, समाज कल्याण<br>निदेशालय, बिहार, पटना   |           |
| बमला कुमारी पति        | उमेश श. ६५००००        | परियोजना निदेशक, राज्य<br>बाल संरक्षण समिति, बिहार,<br>पटना (नई नियुक्ति/<br>पदस्थापन तक प्रधान<br>सचिव/सचिव, समाज<br>कल्याण विभाग द्वारा<br>प्राधिकृत पदाधिकारी प्रभार<br>में रहेंगे) |           |
| Yogenchandra<br>Bhakta | Mr. K. Bhakta         | निदेशक, सामाजिक सुरक्षा<br>एवं निःशक्तता निदेशालय,<br>बिहार, पटना  |           |
| B.R. Singh             | लक्ष्मी श. Singh.     | निदेशक, आई०सी०डी०एस०<br>निदेशालय, बिहार, पटना  |           |
| कट्टर किंग             | श्री शश्वत्कृष्ण किंग | प्रबंध निदेशक, महिला<br>विकास निगम, बिहार,<br>पटना   |           |
| संदीप कुमार            | श. एश्वरकाना प्रसाद   | कार्यकारी निदेशक, राज्य<br>स्वास्थ्य समिति, बिहार,<br>पटना   |           |
| राजेश मूष्यम्          | श. एश. विंद. थर्मा    | परियोजना निदेशक, बिहार<br>शिक्षा परियोजना, बिहार,<br>पटना  |           |
| मो०स्त्र               | श. अष्ट्रल रसीद       | संयुक्त सचिव से अन्यून<br>स्तर के वित्त विभाग के<br>प्रतिनिधि  |           |
| नरेशापालवान            | श. विंद. पालवान       | अनुसूचित जाति एवं<br>जनजाति विभाग के<br>प्रतिनिधि  |           |

5

गिलान विना  
500/-

परामर्शदाता ने किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्तियों ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया।

हस्ताक्षर : २७/१/०१

पदनाम :

मोहर :

सिलसिला  
क्रमांक

परामर्शदाता  
रामेश्वर  
रामेश्वर  
मिशनलय

## राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार की नियमावली

प्रभु शोपेह

इन नियमों को राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार की नियमावली कहा जा सकता है।

### विवरार क्षेत्र तथा उपयोग

इन नियमों का समिति की सभी इकाईयों तथा कार्यकलाप तक विस्तार होगा।

ये नियम-समिति के बिहार राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन निबंधित होने की थि से प्रभावी होंगे।

समिति राज्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगी।

### परिभाषाएं

नियमों एवं व्यवस्थाओं की व्याख्या करने हेतु प्रस्तुत शब्द योजना का अर्थ निम्नांकित है, जब तक कि वह विषय वस्तु से विसंगत न हो:-

“अधिनियम” अर्थात् सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860.

) “एस०सी०पी०एस०बी०” अर्थात् राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS), बिहार।

“सारा” अर्थात् राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण जो कि समिति की एक शाखा है।

) “डी०सी०पी०एस०” अर्थात् जिला बाल संरक्षण समिति जो कि राज्य समिति की शाखा है।

) “केन्द्र सरकार” अर्थात् भारत सरकार।

“अध्यक्ष” अर्थात् समिति के प्रशासी समूह के अध्यक्ष।

) “कार्यकारिणी समिति” अर्थात् समिति की कार्यकारिणी समिति।

) “सदस्य सचिव” अर्थात् समिति के सदस्य सचिव।

“प्रशासी समूह” अर्थात् समिति का प्रशासी समूह।

) “सदस्य” अर्थात् समिति के सदस्य।

) “नियमावली” अर्थात् वे नियम एवं व्यवस्थाएं जिन्हें समिति पंजीयन हेतु प्रस्तुत ज्ञापन-पत्र के साथ पंजीकृत किया गया हो एवं समय-समय पर प्रशासी समूह द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता हो।

) “सचिवालय” अर्थात् समिति का सचिवालय।

News Letter  
दृष्टिकोण

सरकार अधीन बिहार सरकार।

अर्थात् बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष।

निर्धारित अर्थात् इन नियमों के अधीन निर्धारित।

“संकल्प” अर्थात् इन नियमों के अधीन समिति द्वारा पारित एवं स्वीकृत संकल्प।

“मोहर” अर्थात् समिति का मोहर।

“परियोजना निदेशक” अर्थात् समिति के परियोजना निदेशक जो राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के कंडिका 7.10.1 के अधीन नियुक्त किये गये हों।

“प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग” अर्थात् समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव के रूप में पदस्थापित पदाधिकारी।

## 1. कार्यालय

1.1 समिति का निबंधित कार्यालय अपना घर, नियर ललित भवन, बेली रोड, पटना में अवस्थित होगा।

1.2 समिति राज्य के प्रत्येक जिले में शाखा कार्यालय/जिला बाल संरक्षण समिति स्थापित कर सकेगी।

## 5. समिति के कार्य

### 5.1 राज्य बाल संरक्षण समिति के कर्तव्य

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समिति अपने संसाधनों के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करेगी:-

1) स्टेट प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट (एस.पी.एस.यू), अन्य विभागों, शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों, नागरिक संस्थानों, अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों एवं गैर सरकारी संगठनों से सलाह कर राज्य बाल संरक्षण नीति एवं राज्य की कार्य योजनाओं को तैयार करना।

2) बाल संरक्षण अधिनियमों, योजनाओं एवं बच्चों की राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005 में उल्लिखित बाल संरक्षण संबंधित लक्ष्यों के प्रभावी अनुपालन में योगदान देना। इस कार्य में समिति राष्ट्रीय एवं राज्य की प्राथमिकताओं, नियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

3) ऐसे सभी स्वयं सेवी संस्थाओं/धर्मार्थ संगठनों, जो बच्चों/किशोरों को शरण देते हैं, का किशोर न्याय अधिनियम 2000 (संशोधन 2006 सहित) अंतर्गत अनिवार्य रूप से लायसेंस लेने हेतु पहल करना।

मैं एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से निधि को प्राप्त करना, सशांत प्रबन्धन करना और सभी क्रियान्वयन कर रहे अभिकरणों को जैसे निदेशालय, जिला बाल संरक्षण समिति एवं गैर सरकारी संगठन आदि को संवितरित करना शामिल है) एवं उसका लेखा रखना।

समाज कल्याण निदेशालय एवं जिला बाल संरक्षण समिति के तकनीकी/प्रबंधन संबंधी कार्यों को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न माध्यमों से विशेषज्ञों का नियोजन खुले बाजार अथवा अन्य संस्थाओं से करना।

जिला बाल संरक्षण समिति की स्थापना, सहयोग एवं उसके कार्यों का अनुश्रवण करना तथा समेकित बाल संरक्षण योजना एवं अन्य अनुदान योजना के तहत जारी निधि के उपयुक्त प्रवाह एवं उपयोग को सुनिश्चित करना।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं उसमें किये गये संशोधन 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

राज्य में बाल संरक्षण हेतु अन्य अधिनियमों एवं नीतियों जैसे हिन्दु दत्तकग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956; अभिभावक एवं प्रतिपात्य अधिनियम, 1890; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006; अनैतिक पण्न निषेध अधिनियम 1956; इत्यादि एवं अन्य अधिनियम जो बाल अधिकार हेतु लागू किये गये हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

सभी सरकारी विभागों, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग, युवा सेवा, पुलिस, न्यायपालिका, श्रम, राज्य एड्स नियंत्रण समिति इत्यादि शामिल हैं, के साथ नेटवर्क तैयार करना एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करना जिससे बाल संरक्षण विषय पर अन्तर क्षेत्रीय मेल मिलाप बढ़े।

सभी स्वयं सेवी संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठन जो की बाल अधिकार एवं संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं उनके साथ नेटवर्क एवं समन्वय स्थापित करना।

राज्य स्तर पर आवश्यकता आधारित शोध कार्य करना एवं प्रतिवेदन तैयार करना और संकटपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों की संख्या का पता करना और राज्य निर्दिष्ट आंकड़े तैयार करना, जिससे प्रवृत्तियों एवं नमूनों को अनुश्रवणित किया जा सकता है।

सभी व्यक्तियों (सरकारी एवं गैर सरकारी) जो बाल संरक्षण व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं उनका प्रशिक्षण एवं क्षमता उन्नयन।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी एवं निधि के उपयोग संबंधी त्रै-मासिक प्रगति प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करना।

Mr. Jitendra Singh  
 Mr. Rakesh Kumar  
 Mr. S. K. Srivastava

१) एवं बाल विकास संवादीय भारत सरकार द्वारा इन केन्द्र शासित प्रदेशों ले राज्य बाल संरक्षण समितियों के साथ समन्वय करना।

राज्य बाल संरक्षण समिति, परियोजना अनुमोदन समिति एवं प्रायोजन और पालन पोषण समिति को सचिवालयीन सहायता प्रदान करना।

२) संस्थागत एवं परिवार आधारित गैर संस्थागत देख-रेख में रखे गये बच्चों का राज्य स्तर पर डाटाबेस तैयार करना एवं त्रै-मासिक आधार पर उसे अद्यतन करते रहना।

३) राज्य में राज्य बाल संरक्षण समिति की गतिविधियों को परिपूरकता/परिपूर्णता प्रदान करने हेतु वित्तीय एवं गैर वित्तीय संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित करना।

४) राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण, बैठकें, अधिवेशन, नीति पुनर्विलोकन पठन/सर्वे, कार्यशाला एवं अन्तर राज्यीय भ्रमण का आयोजन करना।

५) राज्य में एस.पी.एस.यू. को सशक्त करने हेतु समय समय पर परिलक्षित गतिविधियों का उपयोग करना, जिससे उस क्षेत्र के भीतर एवं अन्तर क्षेत्रीय संरचनाओं के सुधार हेतु तंत्र विकसित हो।

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (SARA) की भूमिका एवं कर्तव्यः-

१) राज्य में चल रहे दत्तकग्रहण कार्य को संयोजित करने, अनुश्रवणित करने एवं विकसित करने हेतु यह राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

२) जहाँ दत्तक ग्रहण समन्वय संस्था नहीं है वहाँ उसके गठन हेतु प्रयास करना एवं केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को उसे मान्यता देने हेतु सिफारिश करना।

३) विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के गठन हेतु प्रयास करना और उसे विधिक मान्यता देना और ऐसे अभिकरणों की विवरणात्मक सूची को तैयार करना।

४) यह सुनिश्चित करना कि सभी दत्तक ग्रहण/स्थायी रखरखाव में दिये गये बच्चों को, विभिन्न अधिनियमों द्वारा निर्धारित एवं उच्चतम् न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दिया गया है।

५) कारा के साथ समन्वय कर देश के भीतर दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित करना एवं अन्तर-देशीय दत्तकग्रहण को नियंत्रित करना।

६) जिला बाल संरक्षण समितियों एवं दत्तक ग्रहण समन्वय संस्था की मदद से दत्तकग्रहण में दिए जाने योग्य बच्चों का एक वेब-आधारित राज्यस्तरीय डाटाबेस तैयार करना एवं अद्यतन करना।

७) जिला बाल संरक्षण समितियों एवं दत्तक ग्रहण समन्वय संस्था की मदद से गोद लेने हेतु इच्छुक माता-पिता का एक वेब-आधारित राज्यस्तरीय डाटाबेस तैयार करना एवं अद्यतन करना।

६

10

७

राज्य संघ  
राज्य संघ

गहुण समन्वय संस्था एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के कार्यों का परिवेद्धण करना एवं

भीतर उनमें समन्वय सुनिश्चित करना।

सुनिश्चित करना की सभी गोद लेने हेतु इच्छुक माता-पिता, जिला बाल संरक्षण सामग्री/विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान/दत्तक ग्रहण समन्वय संस्था/राज्य दत्तक ग्रहण संस्थान में पंजीकृत हो।

(१) मासिक आधार पर दत्तकग्रहण से संबंधित विस्तृत डाटा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकारण को उपलब्ध कराना।

१) सभी संस्थाओं एवं सहयोगी तंत्र को संवेदनशील बनाना।

२) दत्तकग्रहण प्रणाली में कार्य करने वालों की क्षमता उन्नयन करना।

३) दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में अनाचार होने की स्थिति में दत्तकग्रहण अभिकरणों के खिलाफ चाहे वह अनुज्ञा/मान्यता प्राप्त अभिकरण हो या फिर ऐसा व्यक्ति या संगठन जिसके पास अनुज्ञा ना हो, आवश्यक दण्डनीय कार्यवाही करना।

४) राज्य में दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता लाना एवं वकालत करना।

५) प्रचार-प्रसार सामग्री को तैयार करना एवं वितरित करना।

जिला बाल संरक्षण समिति के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

१) बाल संरक्षण अधिनियमों, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना-2005 में निहित बाल संरक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपना योगदान देना और ऐसा करने में राष्ट्रीय एवं राज्य की प्राथमिकताओं, नियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन करना।

२) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए एक व्यक्तिगत देखरेख योजना हो और इस योजना की समय-समय पर समीक्षा हो, साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना।

३) आई.सी.डी.एस. के कर्मियों, विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, बाल संरक्षण मुद्दों से जुड़े गैर सरकारी संगठन एवं स्थानीय निकाय जैसे पंचायत राज प्रतिनिधि, नगरीय-स्थानीय निकाय इत्यादि के साथ प्रभावी नेटवर्किंग एवं समन्वय स्थापित कर जोखिम की स्थिति में रह-रहे परिवारों और ऐसे बच्चे जिनको देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत हो, की पहचान करना।

४) विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की संख्या का आकलन करना एवं जिला-निर्दिष्ट डाटाबेस को तैयार करना जिसकी मदद से इन बच्चों के प्रवृत्ति एवं नमूनों की समीक्षा हो सके।

६६७

रत्तर पर बच्चों उम्मदारी सभी सेवा प्रदाताओं एवं संस्थाओं की जातकारी एकत्र कर राधन शिर्दिशिका तैयार करना।

समक्षित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु विश्वसनीय स्वयंसेवी संस्थानों को पहचानना एवं सहायता देना।

परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवाएं जैसे—प्रायोजन, पालन—पोषण, दत्तकग्रहण, एवं पश्चात्वर्ती देख—रेख के क्रियान्वयन हेतु सहयोग देना।

जिला/शहरी स्तर पर किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं उसके संशोधन अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक ढाचों जैसे—प्रत्येक जिले में किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन एवं जिलों के समूह हेतु गृहों के निर्माण में सहयोग देना।

) कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कर्तव्यों को निभाने हेतु प्रत्येक जिले, प्रखण्ड एवं ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन को सुनिश्चित करना।

१०) प्रत्येक स्तर पर बच्चों के उनके परिवार में वापसी अथवा उनके दीर्घकाल या अल्पावधि पुर्नवास के लिए प्रायोजन, रिश्तेदारों द्वारा देखरेख, देश के भीतर दत्तकग्रहण, पालन—पोषण, अन्तर्राष्ट्रीय दत्तकग्रहण एवं किसी संस्था में प्रवेश हेतु प्रयास करना।

११) राज्य में बाल संरक्षण हेतु अन्य अधिनियमों एवं नीतियों जैसे हिन्दु दत्तकग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956; अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006; अनैतिक पण्न निषेध अधिनियम 1956; इत्यादि एवं अन्य अधिनियम जो बाल अधिकार हेतु लागू किये गये हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

१२) सभी सरकारी विभागों, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग, युवा सेवा, पुलिस, न्यायपालिका, श्रम, राज्य एड्स नियंत्रण समिति इत्यादि शामिल हैं, के साथ नेटवर्क तैयार करना एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करना जिससे बाल संरक्षण विषय पर अन्तर क्षेत्रीय मेल मिलाप बढ़े।

१३) सभी स्वयं सेवी संस्थाओं एवं नागरिक संगठन, जो बाल अधिकार एवं संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं, के साथ नेटवर्क एवं समन्वय करना।

१४) जिले में समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मापदण्डों एवं उपकरण को विकसित करना।

में बच्चों को आश्रय प्रदान कर रहे संस्थाओं / अधिकारियों का अनुश्रवण एवं परीक्षण

५८५

राजी व्यक्तियों (सरकारी एवं गैर सरकारी) जो बाल संरक्षण संरचना के तहत कार्य कर रहे हैं उनका प्रशिक्षण एवं क्षमता उन्नयन करना।

जिला, प्रखण्ड एवं समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण कार्यक्रमों में युवाओं की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

) बाल संरक्षण गतिविधियों में हो रही प्रगति एवं सफलता की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर सहभागियों के साथ त्रैमासिक बैठकों का आयोजन करना जिसमें चाइल्ड लाइन, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, गृह अधीक्षक, गैर सरकारी संगठन एवं सामान्य जनता के सदस्य सम्मिलित हों।

) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, अन्य जिलों के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एवं जिला बाल संरक्षण समिति के सीधे संपर्क करना।

1) जिला बाल संरक्षण सभा को सचिवालयीन सहयोग देना।

2) जिला स्तर पर संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखरेख में रह रहे बच्चों की डाटा-बेस को बनाए रखना। यह डाटा प्रबंधन प्रणाली आगे चलकर देश में देखरेख एवं संरक्षण वाले बालकों का एक विवरणात्मक, समेकित, सजीव डाटा-बेस के रूप में विकसित होगा।

3)

### दस्यता

समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

| नाम | व्यवसाय एवं पूर्ण पता                              | समिति में स्थान | हस्ताक्षर |
|-----|--|-----------------|-----------|
| 2   | 3  | 4               | 5         |
|     | प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना | अध्यक्ष         |           |
|     | निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना          | उपाध्यक्ष       |           |

8

13

9

3

सचिव  
समाज कल्याण विभाग

परियोजना। निदेशक, राज्य संसाधन संगठन का बाल संरक्षण समिति, विहार, पटना (नई नियुक्ति / पदस्थापन तक प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी प्रभार में रहेंगे।)

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना

निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना

प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना

कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार, पटना

संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के वित्त विभाग के प्रतिनिधि

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के प्रतिनिधि

केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि

गृह विभाग के प्रतिनिधि

बाल कल्याण प्रक्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन तथा सामाजिक कार्य का अनुभव रखने वाले 1-1 प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य-3

2 समिति के पदेन पदाधिकारी की सदस्यता का समापन उस वक्त हो जाएगा जब वे उस कार्यालय हट जाते हैं जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने थे तथा उनके उत्तराधिकारी पद भार संभाल गे।

3 समिति के गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन सरकार द्वारा किया जाएगा। नामांकित सदस्यों का कार्यकाल नामांकित तिथि से तीन वर्ष का होगा। ऐसे नामांकित व्यक्ति पुनः तीन वर्ष के लिए नामांकित किए जा सकते हैं।

669

परन्तु अपने सदस्यों की नामावली अपने पंजीकृत दफतर में रखेगी जिसमें द्रष्टव्यक सदस्य अपना नाम सहित एवं अपना पता लिखकर हस्ताक्षर करेगा। कोई भी सदस्य इस नामावली में चाही नहीं जानकारियों की प्रविष्टि किए बिना अपने सदस्य होने के अधिकार एवं विशेषाधिकार का लाभ नहीं उठा पाएगा।

प्रशासी समूह के सदस्यों की सदस्यता निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो जाएगी:-

- त्याग पत्र देने पर, मानसिक सन्तुलन खोने पर, दिवालिया होने पर, ऐसे आपराधिक कृत्य के कारण जिसमें नैतिक दुष्टता शामिल हो, दण्डित किया जाना हो अथवा उस पद से हटा दिए जाने पर, जिसके कारण समिति की सदस्यता प्राप्त हुई हो; या
- अध्यक्ष को सूचित किये बिना प्रशासी समूह की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे हों। सदस्य त्यागपत्र व्यक्तिगत रूप से सचिव को सौंपेगा एवं सचिव द्वारा प्रशासी समूह को सौंपा जा सकेगा और वह उस समय तक प्रभाव में नहीं आएगा जब तक प्रशासी समूह की सिफारिश पर अध्यक्ष उसे मंजूरी न दे दें।

अगर समिति के किसी सदस्य का पता बदल जाता है तो वह कार्यकारी सचिव को लिखित सूचना देगा। जानकारी प्राप्त होने पर कार्यकारी सचिव नामावली में संशोधन करेगा। परन्तु अगर सदस्य द्वारा अपना नया पता नहीं दिया जाता है तो पुराने पते को ही उसका पता माना जाएगा।

समिति में या प्रशासी समूह में रिक्त पदों को भरने हेतु नियमावली के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट अधिकारी कार्य करेंगे। परन्तु पद रिक्त होने या किसी भी सदस्य की नियुक्ति में त्रुटि होने पर समिति या प्रशासी समूह द्वारा की गई कोई भी गतिविधि या प्रक्रिया अमान्य नहीं मानी जायेगी।

कार्यकारी सचिव जो इन नियमों के अधीन नियुक्त होगा, के अलावा प्रशासी समूह का कोई भी सदस्य पारिश्रमिक के लिए पात्र नहीं होगा।

राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार के प्राधिकारी

निम्नलिखित समितियों एवं प्राधिकारीगण समिति के अंग होंगे :-

- प्रशासी समूह
- कार्यकारिणी समिति
- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (State Child Adoption Resource Agency)
- परियोजना अनुमोदन समिति एवं ऐसी सभी समितियों जो प्रशासी समूह द्वारा तय की जायेगी।

प्रशासन एवं पालन पोषण देखरेख का अनुमति दने वाली समिति । (Sponsorship and Foster Care Approval Committee) 663

- १) राज्य स्तर पर गुमशुदा बच्चों को खोजने में जुड़ी प्रणाली (Child Tracking System)
- २) जिला स्तर पर कार्यरत जिला बाल संरक्षण समिति (District Child Protection Society)
- ३) प्रशासी समूह के अध्यक्ष

### प्रशासी समूह (Governing body of SCPS)

- कांडिका 6.1 में वर्णित समिति के सभी सदस्य प्रशासी समूह के सदस्य होंगे ।
- १) प्रशासी समूह के प्रथम सदस्य, ज्ञापन पत्र के खण्ड 6 के अनुसार होंगे । ये तब तक प्रशासी समूह गदों पर बने रहेंगे जब तक इन नियमों के अधीन नई प्रशासी समूह की नियुक्ति नहीं की जाती ।
  - २) समिति का कार्य प्रबंधन, प्रशासी समूह को सौंपा जाएगा एवं समिति की सम्पत्ति का स्वामित्व उसी समूह के पास रहेगा ।
  - ३) मामले के अनुसार समिति, सदस्य सचिव या प्रशासी समूह द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य के नाम से वाद ले सकता है अथवा वाद दायर कर सकता है ।

प्रशासी समूह द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

#### प्रशासी समूह की बैठक

प्रशासी समूह वर्ष में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैठक करेगी सका समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा । अगर किसी विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष को एक हाई सदस्यों की ओर से सभा आयोजन करने के लिए हस्ताक्षर युक्त पत्र प्राप्त हो तो अध्यक्ष ऐसी सभा वेत युक्त समय में उपयुक्त स्थान पर बुलायेगा ।

#### २) प्रशासी समूह के कार्य

प्रशासी समूह द्वारा वार्षिक सभा में निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा की जाएगी एवं उसे निपटाया जाएगा :-

- पिछले वर्ष की आय/व्यय खाता एवं आय-व्यय का हिसाब ।
- समिति का वार्षिक प्रतिवेदन ।
- अगले वर्ष के लिए बजट ।
- अगले वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं शोध कार्य ।
- कार्यकारी सभा एवं अन्य समितियों हेतु नियुक्ति ।

### प्रशासी समूह की बैठक की सूचना

सदस्य सचिव द्वारा, सभा हेतु जारी किए जाने वाले प्रत्येक सूचना पत्र में तारीख, समय एवं स्थान निवार्य रूप से शामिल किया जाएगा एवं प्रशासी समूह के सदस्यों के पास सभा की सूचना सभा से न पूर्व दी जायेगी। ऐसी सूचना सदस्य सचिव के द्वारा प्रेषित की जायेगी, इसके साथ सभा की सूची भी संलग्न की जाएगी। परन्तु किसी कारणवश किसी भी सदस्य तक आयोजित होने वाली की सूचना नहीं पहुंच पाई, तो ऐसी सभा में पारित किए गए प्रस्ताव अमान्य नहीं होगे। अति यक कार्य होने पर अध्यक्ष, प्रशासी समूह को सभा हेतु 10 दिन की पूर्व सूचना के बाद बुला सकते

### वरीयतम व्यक्ति द्वारा अध्यक्षत्व

प्रशासी समूह की सभाओं में अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, उनके अनुपस्थिति में उप-अध्यक्ष अध्यक्षता एवं दोनों की अनुपस्थिति में ऐसी सभा में उपस्थित व्यक्तियों में से प्रशासी समूह, एक सदस्य को न के रूप में नियुक्त करेगी।

### गणपूर्ति

इन नियमों के अंतर्गत प्रशासी समूह के एक तिहाई सदस्य जिनमें नामांकित स्थानापन्न अधिकारी शामिल है एवं उपस्थित है, हर सभा हेतु गणपूर्ति हेतु माने जायेंगे।

### मताधिकार

प्रशासी समूह की सभाओं में उठे सभी विवादित प्रश्न/मामला वोट द्वारा तय किया जाएगा, ऐसी समूह के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट रहेगा, परन्तु समता की स्थिति में अध्यक्ष के पास र्यक वोट का अधिकार होगा।

### मनोनयन

संस्थापक सदस्य अथवा प्रधान सचिव अपने स्थान पर प्रशासी समूह के सभाओं में प्रतिनिधित्व ने हेतु प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकता है।

### संकल्प

प्रशासी समूह का प्रत्येक संकल्प उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर त माना जाएगा। कोई भी सदस्य अगर किसी प्रकार का प्रस्ताव प्रशासी समूह के समक्ष लाना चाहता

गोई सूचना वह लिखित रूप में सदस्य सचिव को द्वारा सभा आयोजित होने के 10 दिन  
में। इसको गोई कार्य जो वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया था परंतु प्रशासी समूह  
करना अनिवार्य हो जाए तो इसकी जानकारी वह सदस्य को परिपत्र द्वारा सूचित करेगा एवं ऐसा  
व जो परिपत्र द्वारा भेजा गया हो और बहुमत ने उसका हस्ताक्षर कर अनुमोदन किया हो तो वह  
शील एवं अनिवार्य हो जाएगा वैसे ही जैसे सभा में उपस्थित 1/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव  
जाएगा।

किसी अति आवश्यक कार्य के सन्दर्भ में समिति के अध्यक्ष प्रशासी समूह की ओर से निर्णय ले  
ते हैं और ऐसा निर्णय प्रशासी समूह की अगली सभा में पुष्टिकरण हेतु पेश किया जाएगा।

### ३ कार्यवाही

प्रत्येक सभा में हुए कार्यकलापों के विवरण का एक प्रतिवेदन तैयार कर जितनी जल्दी हो सके  
सी समूह के सभी सदस्यों को भेजा जाएगा।

#### १ प्रशासी समूह की शक्तियाँ

- १ समिति के सभी कार्यकलापों पर प्रशासी समूह का पूर्ण नियंत्रण होगा एवं इसे समिति के लक्ष्य एवं  
उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनी शक्तियों, कार्यों और विलेखों के प्रयोग का अधिकार रहेगा।
- २ प्रशासी समूह पूर्ववर्ती व्यवस्था की सामान्यता के प्रति विशेषकर बिना किसी पूर्वाग्रह के निम्न कार्य  
कर सकेगी।
  - १) अधिनियम में दिये गये प्रावधानों का पालन करते हुए समिति अपने कार्यकलापों के प्रशासन  
एवं प्रबंधन के हेतु कोई भी उपविधानों को बना सकती है, संशोधित कर सकती है या निरस्त  
कर सकती है।
  - २) समिति के वार्षिक बजट और वार्षिक कार्य योजना पर एवं समय समय पर उनमें लाये गये  
परिवर्तनों पर सदस्य सचिव द्वारा पेश किये जाने पर विचार करना एवं अपेक्षित समझे जाने पर  
उपांतरणों के साथ समिति द्वारा उसे पारित करना।
  - ३) आय के निर्विध्न प्रवाह हेतु नियमित रूप से समिति की वित्तीय स्थिति का अनुश्रवण करना  
एवं प्रतिवर्ष वार्षिक परीक्षित लेखा की समीक्षा करना।
  - ४) उचित प्रावधानों के आधार पर आय एवं विन्यास को प्राप्त करना अथवा अनुदान देना।
  - ५) अपनी शक्तियों को अध्यक्ष, सदस्य सचिव या समिति के अन्य ऐसे अधिकारी जिन्हें उपयुक्त  
समझा जाये, को प्रत्यायोजित करना।

वानियक प्रयोजनों हेतु उपयुक्त शर्तों पर समिलियों, सपसमितियों एवं परिषदों इत्यादि को  
नियमित करना और उनमें से किसी का भी विघटन करना / हटाना।

- 7) विशेषज्ञ, प्रशासकीय एवं तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए स्वयं के नियम  
और व्यवस्थाओं को विकसित और अंगीकृत करना। खुले बाजार से और / अथवा प्रतिनियुक्ति  
के आधार पर नियुक्ति किये गये विशेषज्ञों/कर्मचारियों हेतु अपने मानदण्डों के अनुसार प्रतिकर  
पैकेज तय करना। परन्तु नियुक्ति हेतु पदों का सृजन राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात ही  
किया जायेगा।
- 8) सामग्री एवं सेवाओं के उपर्याप्ति हेतु स्वयं की उपर्याप्ति प्रक्रिया को विकसित करना एवं  
अंगीकृत करना। जबतक समिति द्वारा अपनी नियमावली बनाकर अंगीकृत नहीं की जाती है  
तबतक राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार सामग्री सेवाओं का उपर्याप्ति किया जा  
सकेगा।
- 9) समिति के कार्य संचालन हेतु अपेक्षित समझी जाने वाली संविदाओं को निष्पादित करने हेतु  
सदस्य सचिव को प्राधिकृत करना।
- 10) समिति के उपयोग के लिए भवन निर्माण का कार्य करना अथवा संविदा पर कराना तथा  
समिति के कार्यों के लिए भंडार एवं सेवाएं प्राप्त करना।
- 11) ऐसे सभी कार्यों और घटनाओं अथवा इनमें से कोई एक को निष्पादित करना जो समिति के  
उद्देश्यों को क्रियान्वित करने हेतु जरूरी हो/आनुषंगिक हो परन्तु इसकी कोई भी बात  
प्रशासी समूह को ऐसा कुछ करने या ऐसा कोई उपविधान पारित करने का अधिकार नहीं देती  
जो इसमें दिए गए प्रावधानों के, एवं प्रशासी समूह और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
के विरुद्ध हो अथवा जो समिति के उद्देश्यों से असंगत हो।

#### प्रशासी समूह के अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य

- 1 अध्यक्ष के पास प्रशासी समूह की बैठक बुलाने का एवं उनमें पीठासीन होने का अधिकार होगा।
- 2 अध्यक्ष के पास यह अधिकार रहेगा कि वह स्वयं बुलाकर या अपने द्वारा हस्ताक्षरित अधियाचना  
द्वारा सदस्य सचिव को प्रशासी समूह की किसी भी वक्त बैठक बुलाने के लिए कहे और ऐसी  
अधियाचना प्राप्त होने पर सदस्य सचिव बैठक बुलायेंगे।
- 3 अध्यक्ष प्रशासी समूह द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का उपभोग कर सकता है।

कार्यकारिणी समिति के कार्यों एवं प्रगति का सामयिक तौर पर समीक्षा करने का अधिकार रहेगा। एवं समिति के कार्यों की जाँच करने का आदेश दे सकता है और जाँच अथवा समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर आदेश पारित कर सकता है।

इस नियम की कोई भी बात अध्यक्ष को आपात स्थिति में समिति के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु, प्रशासी समूह की पूर्ण शक्तियों या किसी भी शक्तियों को प्रयुक्त करने से नहीं रोक सकती। परन्तु अध्यक्ष द्वारा लिए गये ऐसे निर्णय को घटनोत्तर स्वीकृति के लिए एक माह अथवा उससे पूर्व प्रशासी समूह के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

#### कार्यकारिणी समिति

- प्रशासी समूह अपनी ओर से कार्य करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन करेगा जो के सभी कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही वह प्रशासी समूह की ओर से सभी निर्णय तथा प्रशासी समूह द्वारा उसके क्षेत्राधिकार से अलग की गयी शक्तियों को छोड़कर उसमें निहित क्षेत्रियों का प्रयोग करेगा।
- कार्यकारिणी समिति की संरचना निम्न प्रकार से होगी:

| नाम | व्यवसाय एवं पूर्ण पता   | समिति में स्थान | हस्ताक्षर |
|-----|---|-----------------|-----------|
| 2   | 3   | 4               | 5         |
|     | प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना  | अध्यक्ष         |           |
|     | निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना   | उपाध्यक्ष       |           |
|     | परियोजना निदेशक, राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना (नई नियुक्ति / पदस्थापन तक प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी प्रभार में रहेंगे।) | सदस्य सचिव      |           |
|     | निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना   | सदस्य           |           |
|     | निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना  | सदस्य           |           |
|     | प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना  | सदस्य           |           |

|   |         |  |
|---|---------|--|
| कार्यकारी निदेशक, राज्य संवर्धन समिति, बिहार, पटना  | सदस्य   |  |
| परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार, पटना   | सदस्य   |  |
| संयुक्त सचिव से अन्यून रत्तर के वित्त विभाग के प्रतिनिधि  | सदस्य   |  |
| बाल कल्याण प्रक्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन तथा अनुभवी सामाजिक कार्यकर्त्ता के 1-1 प्रतिनिधि | सदस्य-3 |  |

कार्यकारिणी समिति अपने बैठक में अन्य सदस्यों और/अथवा विषय के विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित के रूप में बुला सकेगी।

1 कार्यकारिणी समिति की बैठक अध्यक्ष के निर्देश पर सदस्य सचिव द्वारा आहूत की जाएगी जो कम से कम 7 दिन पूर्व निर्गत लिखित सूचना पत्र एवं कार्यावली के साथ बैठक की तिथि, समय एवं स्थान सूचित करेंगे।

5 कार्यकारिणी समिति की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार एवं उससे पूर्व होगी।

6 कार्यकारिणी समिति की बैठक कार्यवाही प्रशासी समूह की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

7 प्रशासी समूह द्वारा गठित विभिन्न समितियाँ अपना प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति को समर्पित करेंगी जो उनकी अनुशंसा पर निर्णय लेने में सक्षम होगा।

#### कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

.1 राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आसनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा जो समिति की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष भी होंगे। ज्ञानेकित बाल संरक्षण योजना एवं अन्य बाल संरक्षण नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के ए राज्य बाल संरक्षण नीतियों एवं बच्चों के लिये राज्य की कार्य योजनाओं के सूत्र को तैयार करने के ए नेतृत्व देंगे। वह प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद एवं विशेष किशोर पुलिस फाई के गठन को भी सुनिश्चित करेंगे।

प्रधान सचिव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी स्वयं सेवी संस्थान/चेरीटेविल संस्था/अनिवार्य इप से अनुज्ञापन प्राप्त करे जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत बच्चों को आवास प्रदान करते। वह संबद्ध विभागों जैसे गृह, स्वास्थ्य, श्रम, शिक्षा, राज्य एडस नियंत्रण समिति, सामाजिक कल्याण, हिला एवं बाल विकास, युवा सेवा इत्यादि में अन्तर क्षेत्रीय मेल-मिलाप की संयोजना करेंगे। वह

संरक्षण योजना की प्रक्रियान्वित करने एवं उससे संबंधित निधि को दिगुप्त करने हेतु सभी शासनिक निर्णय लेने के लिए सशक्त होंगे।

657

### रियोजना स्वीकृति समिति

कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष परियोजना स्वीकृति समिति का नेतृत्व करेंगे जिसे समेकित बाल योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के घटकों के अंतर्गत स्वयं सेवी संस्थानों द्वारा जमा किये गये /परियोजनाओं को जाँचने और समाशोधन के लिए गठित किया गया है। प्रधान सह-अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के हाथ में वित्तीय शक्ति निहित होगी और समेकित बाल संरक्षण के अंतर्गत वे राज्य स्तर पर अन्तिम अधिकारी होंगे जो निधि संवितरण के लिए अधिकृत होंगे।

### राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण


केन्द्रीय दत्तक संसाधन अभिकरण को देश के भीतर दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित करने हेतु और देशीय दत्तकग्रहण को विनियमित करने हेतु सहयोग देने के लिए, समेकित बाल संरक्षण योजना के राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की स्थापना की जाएगी। राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण, ज्य बाल संरक्षण समिति के इकाई के रूप में गठित की गई है, दत्तकग्रहण के कार्यों को संयोजित, मणित एवं विकसित करेगी और राज्य दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति को सविवालयीन एवं निक सहायता प्रदान करेगी। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण एक प्रायोजन एवं पालन पोषण दन समिति का गठन करेगी एवं जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति के साथ संपर्क स्थापित। अभिकरण द्वारा बाल कल्याण समितियों को बच्चों के पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्मिलन हेतु नन, पालन-पोषण, देश के भीतर एवं अंतर देशीय दत्तकग्रहण कार्यक्रमों के संचालन के लिए की सहयोग दिया जाएगा। प्रधान सचिव-सह-कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष राज्य दत्तक ग्रहण न अभिकरण के सभी कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।

### समिति सचिवालय

समिति का सचिवालय प्रशासी समूह द्वारा निर्धारित तकनीकी/प्रबंधन इकाईयों को जोड़कर किया जायेगा।

### सचिवालय की शक्तियाँ एवं कार्य

समिति का सचिवालय, परियोजना निदेशक एवं समिति के कर्मचारियों जिनमें विशेषज्ञ एवं हकार शामिल है, द्वारा गठित होगा।



कियान्वयन तंत्र के रूप में सचिवालय, समिति के दैनिक कार्यकलापों/गतिविधियों के न हो, जिम्मेदार रहेगा। विशेषतया इस नियमावली में तांत्रिक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार

राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के समर्थन संरचना के रूप में सचिवालय :—

- अपने विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों को निदेशालय के ऐसी कार्यपालक व्यवस्था के अधीन रखेगा (जिसमें बैठने एवं रिपोर्टिंग शामिल है) जिससे की समिति के कार्य करने में कोई कठिनाई न हो।
- बाह्य विशेषज्ञों को अपने परिसर में बैठने व कार्य करने की व्यवस्था करेगा।
- समाज कल्याण निदेशालय तथा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रायोगिक प्रबंधन में समर्थन देगा, जिसे प्रशासी समूह द्वारा निर्धारित किया गया हो।

परियोजना निदेशक की शक्तियाँ एवं कार्य


परियोजना निदेशक

समिति के परियोजना निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उनके निर्धारित शर्तों पर की जाए। वह राज्य स्तर पर समिति के प्रशासनिक मुखिया के रूप में कार्य करेगा और वह समिति के कार्यों के प्रबंधन, परिवीक्षण एवं अनुश्रवण साथ ही समेकित बाल संरक्षण योजना के अनुपालन के जिम्मेदार रहेगा। वह राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण एवं राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति के कार्यों का निरीक्षण करेगा। राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर बाल विकास परियोजना एवं अन्य बाल संरक्षण नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को चतुर करने की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक की होगी। वे इस कार्य को राज्य बाल संरक्षण समिति व उसी कर्मियों की सहायता से करेंगे। राज्य एवं जिला स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना एवं अन्य संरक्षण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले संबंधित अभिकरणों/संस्थाओं को ठीक समय पर निधि मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना निदेशक जिम्मेदार होगा। वह समेकित बाल संरक्षण के तहत, आवंटित निधि के उपयोग का भी परिवीक्षण एवं निरीक्षण करेगा।

समिति की निधि

समिति की निधि निम्नानुसार होगी

- भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता।
- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता।



व्यवसायों, उद्योगों संस्थानों एवं व्यक्तियों से प्राप्त दान-राशि एवं अनुदान।

- आस्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि।

राष्ट्रीय समितियों की जिसका विलय समेकित समिति में किया गया है आस्तियों एवं दायित्व नवनिर्मित समिति के अंतर्गत होगा।

### लेखा एवं संपरीक्षण

समिति के कार्यकलापों हेतु उपयोग में लाये गये सम्पत्तियों एवं खर्चों का नियमित लेखा बनाये रखने हेतु समिति जिम्मेदार होगी।


कार्यकारिणी समिति प्रत्येक योजना हेतु पृथक बैंक खाता अथवा एक खाते के अन्दर पृथक बहिखाता रखने का प्रावधान करेगी। ऐसी परिस्थिति में प्रशासी समूह प्रत्येक योजना हेतु उप समिति के खर्चों विवरण के संबंध में लिखित निर्देश देगी। अलग-अलग कार्यक्रमों के पृथक खातों का संपरीक्षण अलग-अलग लेखापरीक्षक द्वारा किया जा सकता है और उन्हें कार्यक्रम इकाईयों को पृथक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु एस.पी.एस.यू., राज्य बाल संरक्षण संस्था की एक समेकित संपरीक्षा सुनिश्चित करेगा।

समिति के लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षण, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा गठित नाम सूची में शामिल चार्टड एकाउन्टेंट फर्म या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अर्हित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा एवं ऐसे संपरीक्षण के संबंध में हुये खर्चों का भुगतान समिति द्वारा लेखापरीक्षक को किया जायेगा। राज्य का कार्यालय महालेखापरीक्षक अपनी स्वविवेकानुसार समिति के खातों का संपरीक्षण कर सकता है।

समिति के खातों की संपरीक्षण के लिए चार्टड एकाउन्टेंट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अर्हित व्यक्ति के पास संपरीक्षा हेतु वही समान अधिकार, विशेषाधिकार एवं प्राधिकार रहेगा जैसे की राज्य के महालेखापरीक्षक के पास खातों की संपरीक्षा के वक्त होता है। जैसे कि किताबों को प्रस्तुत करने, खातों से संबंधित अभिश्रव एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहना इत्यादि।

लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षण की रिपोर्ट समिति को दी जायेगी, जो इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि अपनी टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को सौंपेंगी।

लेखापरीक्षक इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि अध्यक्ष को एवं एक अन्य रिपोर्ट राज्य बाल संरक्षण समिति की आम सभा में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित करेगा।



अपना खाता ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलेगी, जिसे कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित निया गया हो या फिर ऐसे अनुसूचित व्यावसायिक बैंक में खोलेगी जिसे समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो। सभी निधि समिति के लिए नियुक्त बैंक के खाते में जमा किया जायेगा एवं इसे चैक, बिल नोट, अन्य परक्राम्य लिखित या ई. बैंकिंग की प्रक्रिया द्वारा हस्ताक्षरित / कार्यकारिणी समिति द्वारा अवधारित एवं समिति सचिवालय के अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रोनिकली अधिकृत तरीके से ही प्रत्याहरण किया जायेगा।

समिति के मुख्य दाता के रूप में समिति द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आदेश प्राप्त होने पर अपने सारे लेन-देन हेतु ई. बैंकिंग प्रक्रिया को अपना सकेगी।

कार्यकारिणी समिति, समिति के खाते को संचालित करने हेतु किसी अन्य वरीय पदाधिकारी के नाथ परियोजना निदेशक को अधिकृत करेगा। परन्तु किसी भी स्थिति में बैंक से प्रत्याहरण हेतु दो ताक्षरों का होना आवश्यक है।

#### वार्षिक प्रतिवेदन

समिति के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा का एक प्रारूप प्रशासी समूह की अगली बैठक में अरण एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रशासी समूह द्वारा अनुमोदित किये गये वार्षिक वेदन एवं संपरीक्षित खाता विवरण की प्रतिलिपि, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर प्रशासी ह के अध्यक्ष एवं प्रशासी समूह में भारत सरकार के प्रतिनिधियों को प्रेषित किया जायेगा।

#### वाद एवं कार्यवाहियां

- 1 समिति अपने नाम पर, सदस्य सचिव के माध्यम से वाद ला सकती है या अपने खिलाफ वाद ले सकती है।
- 2 किसी भी रिक्त स्थान या अध्यक्ष के कार्यभार को संभालने वाले व्यक्ति के बदल जाने से या स्य सचिव के बदल जाने से या ऐसे पदाधिकारी के बदल जाने से जिन्हें अधिकृत किया गया हो ई भी वाद या कार्यवाही का उपशमन नहीं होगा।
- 3 किसी भी वाद या कार्यवाही के अन्तर्गत समिति के खिलाफ पारित डिक्री या आदेश समिति के संपत्ति से निष्पादित होगा न की उस व्यक्ति या अध्यक्ष, सदस्य सचिव या समिति के किसी भी पदाधिकारी के सम्पत्ति से।

नियम 123 की कोई भी बान अध्यक्ष, सचिव समिति या समिति के चयाधिकारी को आपराधिक प्रति जुल्द नहीं करता और न ही वे अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर उन्हें जुर्माने को । समिति के सम्बत्ति से किसी प्रकार की अंशदान हेतु दावा करने के लिए पात्र होंगे ।

### संशोधन

समिति आवश्यकतानुसार अपने उद्देश्यों में जिसके लिए गठन हुआ है एवं समिति के नियमों में बदलाव या विस्तार ला सकती है ।

समिति के उद्देश्यों में या नियमों में लाये गये परिवर्तनों से संबंधित प्रस्ताव को या विस्तार को प्रशासी समूह के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिए साथ ही प्रशासी समूह की अगली बैठक की कार्यसूची में लिखित रूप से शामिल किया जाना चाहिए या इसके अनुमोदन हेतु प्रशासी समूह की एक विशेष बैठक बुलाई जानी चाहिए ।

3 किसी भी प्रकार का संशोधन तब तक प्रभावी न होगा जब तक प्रस्ताव पर प्रशासी समूह के 3/5 सदस्यों का बैठक में अथवा लिखित संसूचन द्वारा अनुमोदन नहीं होगा ।

### विघटन

1 प्रशासी समूह विघटन हेतु अपनी विशेष बैठक बुलाकर इस सन्दर्भ में प्रस्ताव लाकर अपना विघटन कर सकता है ।

2 समिति के विघटन पर समिति की सभी आस्तियाँ, जो उसके दायित्वों एवं ऋणों के परिनिर्धारण के बाद शेष होगा, बिहार सरकार को प्रतिवर्णित होगा जो इसका उचित उपयोग करेगा ।

3 समिति तब तक विघटित नहीं की जा सकती जब तक इसके 3/5 सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी परोक्ष रूप से वोट डालकर विघटन हेतु बुलाये गये बैठक में अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की जाती ।

### विविध

#### 1 संविदा

1.1 समिति के लिए और समिति द्वारा किये गए सभी संविदा एवं अन्य समझौते इन नियमों में लेलिखित प्रावधानों के अधीन होंगे, वे समिति के नाम में किये गए दर्शाये जाएँगे तथा प्रशासी समूह द्वारा घेकृत व्यक्तियों द्वारा संपादित किये जाएँगे ।

1.2 समिति द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री अथवा वस्तु का क्रय, विक्रय या आपूर्ति से संबंधित वेदा समिति के किसी सदस्य या उसके किसी रिश्तेदार के फर्म/निजी कंपनी या जिसमें सदस्य या पक्षके रिश्तेदार सहयोगी या सहभागी या निदेशक हो, नहीं दी जाएगी ।

६५२

संघीय प्रशासनी समूह द्वारा अनुमोदित नमूने वाला सोहर का उपयोग करेगी।

### वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन

समिति वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन यथा कर्मचारियों, परामर्शी एवं विशेषज्ञों के स्रोत और वैश्वर्ण/संविदा पर कर कठौती इत्यादि के लिए सभी संबंधित सरकारी प्राधिकरणों में अपने आपको कृत कराएगी।

#### सरकार की समीक्षा की शक्तियाँ

१. जब तक कि इन नियमों से असंगत न हो, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार समिति के कार्यों प्रगति की समीक्षा के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा तथा इसके लों की जाँच कर सकेगा और प्राप्त प्रतिवेदन पर आवश्यकतानुसार समिति के लेखा का आंतरिक क्षण दल द्वारा अंकेक्षण कराकर समिति को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत कर सकेगा।

२. प्रशासी समूह के अध्यक्ष को ऐसी समीक्षा/जाँच में एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त सकने का अधिकार होगा।

३.३ ऐसा प्रगति, समीक्षा / जाँच प्रतिवेदन प्रशासी समूह के आगामी बैठक की कार्यावली में उल्लिखित हो।

#### उप-विधान

समिति के विशिष्ट निर्देशों तथा इन नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यकारिणी समिति को, नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए उप-विधान बनाने तथा उन्हें संशोधित करने का ग्रेकार होगा। ये उप-विधान निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगे:

- शाखा कार्यालयों की स्थापना।
- प्रशासी समूह, कार्यकारिणी समिति एवं अन्य समिति तथा उप-समितियों का कार्य संचालन।
- स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान।
- तकनीकी संसाधन सहयोग के सभी पहलू जिनमें अन्य विकास सहयोगी सम्मिलित हैं।
- वस्तु एवं सेवाओं के उपार्जन के लिए उपार्जन नीति तथा प्रक्रिया।
- निधि के विमुक्ति की प्रक्रिया तथा प्रशासी समूह/कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों की वित्तीय शक्तियाँ।
- निधि के विमुक्ति की प्रक्रिया।
- समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों के अनुरूप मानव संसाधन संबंधित नीति एवं प्रक्रिया।

६

२८

७

संसाधन  
विभाग  
मंत्रालय

..... एवं क्षमता सन्निधन।

165)

हां, मनसिखित व्यक्ति जो राज्य बाल संरक्षण समिति, विहार के प्रथम प्रशासी समूह के तीन में हैं, प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त प्रति उक्त समिति के नियमों की सच्ची प्रति है।

| नाम एवं पता   | हस्ताक्षर |
|---|-----------|
| बंदोप श्रीनगर, लखिया,<br>काशी विहार, १९८०                             |           |
| प्रेम शुभेन्दु, निदेश्च, ५७००३०<br>सौ-परिमाला-१९८०, नौ. क. ए. लॉट्टरी |           |
| अमला- शुभेन्दु, संस्कृत विविध<br>सौ-परिमाला-१९८०, नौ. क. ए. लॉट्टरी   |           |

क—.....

राम  
राम संघ